न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र बाबत आर0टी0ए0 212
प्रकरण संख्या–56/2020

1. सुनील
2. भागीरथ

} पि0 नारायण जाति मेघवाल निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1.नारायण पुत्र गणपत जाति मेघवाल निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थी

उपस्थिति– श्री महावीर प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 19.01.2021

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी नारायण के नाम से चकनं0 10 डीबीएल के खाता सं0 28/26 में कुल 2.176 है0 कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो अप्रार्थी को प्रार्थीगण के दादा से प्राप्त आराजी है जिसमें हम प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज अप्रार्थी के नाम की आराजी में हम प्रार्थीगण प्रत्येक का .310 है0 का हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी में समस्त भूमि अप्रार्थी के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की आराजी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी अप्रार्थीगण सं0 1 को हम प्रार्थीगण के दादा से विरास्तन प्राप्त आराजी है जो कि पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी गण सं0 2 ता 5 जो सभी शादीशुदा है लेकिन उक्त प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने अप्रार्थी को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर रखा है व अप्रार्थी के नाम की आराजी मे से हम प्रार्थीगण के हक व हिस्सा को मारने की गर्ज से उपरोक्त वर्णित भूमि को बेचान करवाने पर आमादा है। अप्रार्थी जो कि प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के असर व दबाव में है। अगर अप्रार्थी द्वारा अपने नाम की आराजी को बिना किसी कानूनी आवश्यकता के रहन बैय कर दिया तो हम प्रार्थीगण को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि से वंचित हो जावेगे। इसलिए अप्रार्थी अपने नाम से दर्ज आराजी को रहन,बैय तथा अन्य किसी प्रकारसे अन्तरित करने से निषेद्व रहे।अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति, के बिन्दू हम प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुभाषचन्द्र गर्ग द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मदों को स्वीकार करते हुए अंकित किया कि मुझ अप्रार्थी नारायण के नाम से चकनं0 10 डीबीएल के खाता सं0 28/26 में कुल 2.176 है0 कृर्षि भूमि होना व पैतृक सम्पति है जो अप्रार्थी सं0 1 विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का .310 है0 का हक व हिस्सा बनता है। अप्रार्थी नारायण के नाम से दर्ज आराजी वाके चकनं0 10 डीवीएल के खाता सं0 28/26 में अंकित कुल 2.176 है0 आराजी में से प्रार्थीगण प्रत्येक .310 है0 यानि प्रार्थीगण सं0 1 व 2 कुल .620 है0 आराजी के व0हि0व0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अच्छी मन्दी के अनुसार अलग किया जाकर चकनं0 10 डीबीएल के खाता सं0 28/26 में से अप्रार्थी नारायण का हिस्सा कम किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नही है।प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी अप्रार्थीगण सं0 1 को विरास्तन प्राप्त आराजी है जो कि पैतृक सम्पति है। अप्रार्थी सं0 1 अपने नाम से दर्ज आराजी को बैचान नही कर रहा है व प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा सकते है व अपनी आराजी का खाता तकसीम करवा सकते है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी आराजी को किसी भी व्यक्ति को रहन,बैय नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई स्थगन आदेश मुझ अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ प्राप्त करने के अधिकारी नही है।अगर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उससे अपूर्णीय क्षति मुझ अप्रार्थी को होगी, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है।इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम की भूमि पैतृक सम्पति है जिसमे प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की आराजी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रार्थीगण की भूमि का खाता अलग से कायम किया जावे व अप्रार्थी अपने नाम से दर्ज पैतृक सम्पति को बैचान करने से निषेद्व रहे इस बाबत जारी निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति होना व उसमें प्रार्थीगण का हिस्सा होना स्वीकार है। प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर अपनी भूमि का खाता तकसीम करवा सकते है। मुझ अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि को रहन,बैय नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की दफा 4 व 5 में .620 है0 का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी की समस्त कृर्षि भूमि पर कानूनन हिस्सा को छोड़कर अन्य कृषि भूमि को रहन बैय व अन्तरित करने से पाबंद नही किया जा सकता। मुझ अप्रार्थी को अपने हिस्सा की भूमि को बैचान करने से पाबन्द नही किया जा सकता है। अप्रार्थी, प्रार्थीगण के हिस्सा की आराजी को उनके नाम से अंकन करवाने के लिए तैयार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
खण्ड अधिकारी
दिल्ली

दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के नाम से दर्ज आराजी मे से अपने .620 है0 का अनुतोष चाहा गया है जिसको अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है व अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी, प्रार्थीगण के हिस्सा को किसी प्रकार से रहन, बैय नही कर रहा है व अप्रार्थी को अपने स्वंय के हिस्सा को रहन,बैय व अन्तरित करने का पूरा अधिकार है। न्यायालय मतानुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के सम्बन्ध में तीनों बिन्दुओं

को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी नारायण के नाम से दर्ज चकनं0 10 डीबीएल के खाता सं0 28/26 में कुल 2.176 है0 कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण के .620 है0 की आराजी को अप्रार्थी रहन,बैय नही करेगा व अप्रार्थी की भूमि 2.176 है0 मे से .620 है0 को छोड़कर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(मांगीलाल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
टिब्बी।